प्रेस नोट

थाना नवाबाद, जनपद झांसी

दिनाँक 08.08.2025

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **थाना नवाबाद पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग का सफल अनावरण, अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना नवाबाद पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में घटित हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये आज दिनाँक 08.08.2025 को अभियुक्त सचिन वर्मा पुत्र प्रेम कुमार दशारिया निवासी कुरियाना मोहल्ला तालपुरा थाना नवाबाद जिला झांसी उम्र करीब 26 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0 299/25 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना नवाबाद, झाँसी को गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 05.08.2025 को वादी श्री जितेन्द्र वर्मा पुत्र बृजमोहन वर्मा निवासी आवास विकास कालोनी A-341, थाना सीपरी झाँसी द्वारा थाना नवाबाद पर लिखित प्रार्थना के माध्यम से अवगत कराया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के ससुर भान प्रकाश सिरवईया की हत्या कर दी गई है। प्राप्त लिखित प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0 299/25 धारा 103(1) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु स्वाट व सर्वेलन्स सहित पुलिस टीमें गठित की गई। पुलिस टीमों द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण कर अभियुक्त सचिन वर्मा पुत्र प्रेम कुमार दशारिया निवासी कुरियाना मोहल्ला तालपुरा थाना नवाबाद जिला झांसी का नाम प्रकाश में आया। जिसके क्रम में अभियुक्त सचिन वर्मा उपरोक्त को आज दिनांक 08.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नवाबाद क्षेत्र के किसान बाजार चौराहे से कानपुर चुंगी जाने वाले रास्ते पर पशु चिकित्सालय के पास सड़क किनारे, समय करीब 14.25 बजे गिरफ्तार किया गया है।

घटना के सम्बन्ध में पूछताछ के दौरान अभियुक्त सचिन वर्मा उपरोक्त द्वारा बताया उनसे वर्ष 2021 में एक 17 वर्षीय युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया था तथा उससे शादी करना चाहता था। परन्तु युवती की बहन द्वारा इसके विरुद्ध धारा 363/366 भादवि का अभियोग पंजीकृत करा दिया। उक्त अभियोग में बाद में धारा 376(1) भादवि

व 3 /4 पॉक्सो एक्ट भी लग गयी थी और अभियुक्त सचिन वर्मा उपरोक्त जेल चला गया था। उक्त मुकदमें में सचिन वर्मा की पैरवी इसी के मुहल्ले में रहने वाले एडवोकेट भान प्रकाश द्वारा की जा रही थी।

सचिन वर्मा उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वकील भानप्रकाश मुकदमें में लचर पैरवी करते रहे और उससे धीरे-धीरे करके बहुत सारा पैसा ले लिया और उसकी मोटर साईकिल (UP93 BD3257) रख लिये थे, तथा वकील भानप्रकाश की ढिलाई के कारण उसके खिलाफ अदालत से वारण्ट भी जारी हो गया था। ठीक से पैरवी न होने के कारण उसके मुकदमें में दिनांक 19.09.2025 को अगली तारीख लगी है, जिसमें उसे सजा होने वाली है।

उपरोक्त मुकदमें में पैरवी को लेकर अभियुक्त सचिन वर्मा उपरोक्त भान प्रकाश से रुष्ट हो था। जिससे उनसे भानप्रकाश की गला दबा हत्या कर दी।

अभियुक्त का विवरणः- सचिन वर्मा पुत्र प्रेम कुमार दशारिया निवासी कुरियाना मोहल्ला तालपुरा थाना नवाबाद जिला झांसी उम्र करीब 26 वर्ष

पुलिस टीम का विवरणः –

1. निरीक्षक श्री अतुल कुमार, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी
2. व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी
3. का0 909 अखिलेश पटेल, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी
4. का0चा0 विजय कुमार, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी